रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072026-274781
CG-DL-E-24072026-274781

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3890] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948
No. 3890] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2026

सं. 25 /2026-27

विषय: आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-। (आयात नीति) के अध्याय 39 के आइटीसी (एचएस) कोड 39041020 के तहत शामिल सस्पेंशन ग्रेड पीवीसी रेज़िन (एस-पीवीसी) की आयात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 4060(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3, धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 39 के तहत शामिल आइटीसी (एचएस) कोड 39041020 की आयात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन करती है:

आइटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	मौजूदा आयात नीति	मौजूदा आयात नीतिगत शर्त	संशोधित आयात नीति	संशोधित आयात नीतिगत शर्त
39041020	सस्पेंशन ग्रेड पीवीसी रेज़िन	मुक्त		प्रतिबंधित	(क) तथापि,इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से **छह महीने की अवधि** के लिए 0.766 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम से अधिक सीआइएफ मूल्य वाले सस्पेंशन ग्रेड पीवीसी रेज़िन (एस-पीवीसी) का आयात **मुक्त** है। **(ख)** उपर्युक्त **(क)** में निर्दिष्ट न्यूनतम आयात मूल्य 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू), एसईजेड में स्थित इकाइयों तथा अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के अंतर्गत किए जाने वाले आयातों पर लागू नहीं होगा, बशर्ते कि आयातित निवेश सामग्री का विक्रय घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में न किया जाए।

<u>इस अधिसूचना का प्रभाव:</u>

आइटीसी (एचएस) कोड 39041020 के अंतर्गत वर्गीकृत सस्पेंशन ग्रेड पीवीसी रेज़िन (एस-पीवीसी), जिसका सीआइएफ मूल्य 0.766 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम या उससे कम है, के आयात को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छह माह की अवधि के लिए "प्रतिबंधित" श्रेणी में रखा गया है। हालाँकि, यह प्रतिबंध 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू), एसईजेड स्थित इकाइयों तथा अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के अंतर्गत किए जाने वाले आयातों पर लागू नहीं होगा, बशर्ते कि आयातित निवेश सामग्री का विक्रय घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में न किया जाए।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/105/एएम-25/पीसी-2(ए)/ ई-45540]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2026

No. 25/2026-27

Subject: Amendment in Import Policy of Suspension grade PVC resin (S-PVC) covered under ITC (HS) code 39041020 of Chapter 39 of ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy)-reg.

S.O. 4060(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3, Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and paragraph 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import Policy of ITC (HS) Code 39041020 covered under Chapter 39 of ITC (HS) 2022, Schedule-I (Import Policy) with immediate effect:

ITC (HS) Code	Item Description	Existing Import Policy	Existing Import Policy Condition	Revised Import Policy	Revised Import Policy Condition
39041020	Suspension grade PVC resin	Free		Restricted	(a) However, import of Suspension grade PVC Resin (S-PVC) having CIF Value more than USD 0.766 per Kilogram is **Free** for a **period of six months** from the date of publication of this Notification (b) The Minimum Import Price at (a) above, however, will not be applicable for import by 100% Export Oriented Units (EOUs), units in the SEZ and under the Advance Authorisation Scheme, subject to the condition that the imported inputs are not sold into the Domestic Tariff Area (DTA).

<u>Effect of this Notification:</u>

The import of Suspension grade PVC Resin (S-PVC) falling under ITC (HS) Code 39041020, having CIF Value of less than or equal to USD 0.766 per Kilogram is “Restricted” for a period of six months from the date of publication of this Notification. However, this restriction will not be applicable for import by 100% Export Oriented Units (EOUs), units in the SEZ and imports under the Advance Authorisation Scheme, subject to the condition that the imported inputs are not sold into the Domestic Tariff Area (DTA).

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/105/AM-25/PC-2(A)/[E-45540]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA